न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 218–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–11–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 376/2012–13/अपील.

नंदलाल पिता भेरा जी भील
निवासी ग्राम साकरिया, तहसील
दलोदा जिला मन्दसौर

———आवेदक

विरूद्ध

1. नंदलाल पिता मांगीलाल भील
   निवासी ग्राम साकरिया, तहसील
   दलोदा जिला मन्दसौर
2. म0प्र0 शासन

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री गणेश कुमावत, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 9 नवम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 18–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम साकरिया चौकीदार था जिसके पास शासन की ओर सर्वे कं

182 रकबा 4.05 हेक्टर सेवा भूमि प्रदान की गई थी। उक्त भूमि पर शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा कर लेने से आवेदक द्वारा कलेक्टर मंदसौर एवं अन्य अधिकारियों को शिकायत की। अपीलांट द्वारा की गई शिकायत की जानकारी कब्जा करने वाले लोगों को प्राप्त होने पर उनके द्वारा षड़यंत्र रचकर अपीलांट के विरूद्ध शिकायत की गई। तहसीलदार दलौदा द्वारा प्राप्त शिकायत पर जांच की गई। ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव थाना प्रभारी भावगढ़ की रिपोर्ट एवं ग्राम पटवारी की रिपोर्ट पंचनामा के आधार पर आदेश दिनांक 31–10–2012 से आवेदक को चौकीदार के पद से पृथक किया गया। आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनने के पश्चात यह पाया कि यदि शिकायतकर्तागण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया था तो उसे विधि अनुसार कब्जा हटाने की कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष करना चाहिये थी किन्तु उसके द्वारा ऐसा न करते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई। साथ ही अपीलांट के विरूद्ध ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव, थाना प्रभारी की रिपोर्ट एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार अपीलांट के विरूद्ध की गई शिकायत सिद्ध पाई जाने से विचारण न्यायालय द्वारा उसे पद से पृथक किया जो विधिसवंत पाये जाने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 09–4–13 से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 18–11–14 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई विधि अथवा प्रकिया की त्रुटि नहीं पाये जाने से यथावत रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि आवेदक ने कब्जा लेने का आवेदन दिया उसके बाद अनावेदक शिकायतर्का की झूठी शिकायत पर विश्वास करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की है जो कि विपक्षी की ओर से पश्चातवर्ती शिकायत थी तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा यह साबित कर दिया गया कि उसे सेवा चखाते में मिली भूमि पर शिकायतकर्ता का कब्जा है वह दिलाया जाये। शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायते की है वह सिद्ध भी नहीं होते हुये भी अवैध आदेश पारित कर दिया क्योंकि जसवंतसिंह के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना बताया है जबकि वह किसी भी समय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और पटवारी मौजा की रिपोर्ट में अमरीबाई के नाम अतिक्रमण होना बताया है किन्तु पटवारी मोजा के कथन नहीं करवाये गये और नही थाना प्रभारी के कथन अंकित करावाये गये। मात्र आदेश में यह लिख देने से कि ग्राम कोटवार ने अपनी पत्नी के नाम से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, के आधार पर आवेदक को कोटवार पद से पृथक करने में कानूनी भूल की है। तर्क में यह भी कहा कि यदि शिकायत की जाये तो कोटवार को गवाहों के प्रति परीक्षण का अवसर देना चाहिए तथा यदि कोई शिकायत कोटवार के विरूद्ध आये तब भी पदच्युति का दंड बहुत गंभीर है वह मामूली आधारों पर नहीं दिया जाना चाहिए। आवेदक ने यह भी बताया कि आवेदक पर अपराधिक प्रकरण सिद्ध नहीं होने से उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया है। अतः अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित प्रति अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध ग्राम पंचायत डोराना द्वारा ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव पेश किया तथा थाना प्रभारी भावगढ़ का प्रतिवेदन, पटवारी ग्राम रिपोर्ट, पंचनामा एवं ग्राम के वसूली पटेल की रिपोर्ट सिद्ध पाये जाने से उसे ग्राम साकरिया के चौकीदार के पद से पृथक किया है। उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें कोई त्रुटि प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक का यह कहना कि उसपर लगे आपराधिक प्रकरण से उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया है। आवेदक द्वारा उक्त आदेश की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। आवेदक चाहे तो उक्त आदेश की प्रति सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर